न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

मु. नं.– 34/25 (विविध)

उम्मेदसिंह वगैरह बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश सिंह द्वारा वास्ते पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को सम्मन जरिये **Registered AD** वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 30.05.2025 को पेश हो। **उपखण्ड अधिकारी** **मण्डावर (दौसा)** 30.5.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार मण्डावर की तामील हो चुकी है। अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र पत्थरगढी दिनांक 10.6.25 को पेश हो। **उपखण्ड अधिकारी** **मण्डावर (दौसा)** 10.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा. भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर। पृथक विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। **उपखण्ड अधिकारी** **मण्डावर (दौसा)**	नोटिस जारी [illegible]

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
34/2025	16.05.2025	10.06.2025

बउनवान

1. उम्मेदसिंह पुत्र श्री घूडसिंह, निवासी धौलखेडा, तहसील मण्डावर जिला दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर, जिला दौसा।

..अप्रार्थी

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री मुकेश सिंह।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की विवादित आराजी भूमि खसरा सं. 872 रकबा 1.18 हैक्टे., 877 रकबा 0.09 हैक्टे., 878 रकबा 0.48 हैक्टे., 880 रकबा 0.45 हैक्टे., कुल खसरे 4 कुल रकबा 2.20 हैक्टे. वाके ग्राम धौलखेडा, पटवार हल्का धौलखेडा, तहसील मण्डावर जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त भूमि के सटवा में ही अन्य पड़ौसी खातेदारों की आराजी है जिन्होंने प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की डोल मेड को ट्रैक्टरों से जोत कर खेतों के मध्य के सीमा चिन्हों को नष्ट कर दिया है एवं वर्तमान में मौके पर खेतों के मध्य में डोल मेड व सीमा चिन्ह स्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अपने खेतों में फसल काश्त करते समय ट्रैक्टर से अपने खेतों को जोतने पर पडोसी खातेदार व्यक्ति झगडा करने पर आमादा हो जाते है और बोलते है कि तुम्हारी जमीन यहां तक नहीं है। प्रार्थी ने कहा कि जमीन का सीमाज्ञान करवा लो, तुम्हारी जमीन जहां पर आये, वहां पर आप ले लेना तथा हमारी जमीन जहां तक होगी, हम ले लेंगे किन्तु पडोसी खातेदार भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु सहमत नहीं है। आये दिन झगडा फिसाद होने पर प्रार्थी को अपनी खातेदारी की आराजी में शान्तिपूर्वक फसल काश्त करने में बाधा उत्पन्न होती है एवं पडोसी खातेदारों से रंजिश होती रहती है जिसे कारण भविष्य में कोई भी घटना घटित होने की संभावना है। प्रार्थी ने पडोसी खातेदारों को सीमाज्ञान हेतु समझाने का प्रयास किया लेकिन पडोसी खातेदारों ने इन्कार कर दिया। प्रार्थी अपनी आराजी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजीयात उक्त आराजी की सीमा के अनुसार पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार मण्डावर व थानाधिकारी मण्डावर को आदेश फरमाये जाने की कृपा करें। यदि पडोसी खातेदारों या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

पत्थरगढी करवाने में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा किया जाता है तो पुलिस इमदाद से पत्थरगढी करवाने की कृपा करे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया एवं अप्राथी को जरिये नोटिस तामील करवाई गई। अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब इस न्यायलय में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

3. पत्रावली का एवं खाता की प्रस्तुत नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम धौलखेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित उक्त विवादित आराजीयात खसरा सं. 872, 877, 878, 880, कुल रकबा 2.20 हैक्टे भूमि का प्रार्थी दर्ज रिकार्ड एकल खातेदार है।

4. प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

5. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम धौलखेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित प्रार्थी की आराजी खसरा सं. 872 रकबा 1.18 हैक्टे., 877 रकबा 0.09 हैक्टे., 878 रकबा 0.48 हैक्टे., 880 रकबा 0.45 हैक्टे., कुल खसरे 4 कुल रकबा 2.20 हैक्टे भूमि के लिये सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी की उक्त आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किये जाने के लिये भू अभिलेख निरीक्षक ऊकरूंद को 2500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थी की उपस्थिति में ही सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय का स्थगन होने पर पत्थरगढी का कार्य नही किया जावें। अतः भू. अभिलेख निरीक्षक ऊकरूंद मौके पर उपस्थित प्रार्थी पडोसियों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

6. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 10.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)